# राजस्थान सरकार
## आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(1) स.आ./चारा./09/3902-4008 जयपुर,दिनांक: 21.3.2009

वास्ते,

जिला कलेक्टर,
अजमेर, बाडमेर,बीकानेर, भीलवाडा,
डूंगरपुर, जैसलमेर,जालोर, जोधपुर,
नागौर, पाली, राजसमन्द एवं सिरोहीं।

विषय :– अभाव संवत 2065 में अभावग्रस्त गांवों में पशु शिविरों की सीमा हेतु अधिकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में अभाव संवत 2065 में आपके जिले से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार निम्नानुसार जिलों के सम्मुख अंकित संख्या तक के पशुओं के लिये पशु शिविर दिनांक 15 मार्च, 09 से खोले जाने की हेतु अधिकृत किया जाता है :–

| क्र.सं. | नाम जिला | मार्च,09 | अप्रेल, 09 | मई,09 | जून,09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अजमेर | जिले द्वारा कोई मांग नहीं है। | | | |
| 2. | बाड़मेर | 350 | 450 | 700 | 900 |
| 3. | बीकानेर | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4. | भीलवाडा | जिले द्वारा कोई मांग नहीं है। | | | |
| 5. | डूंगरपुर | जिले द्वारा कोई मांग नहीं है। | | | |
| 6. | जैसलमेर | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 7. | जालौर | जिले द्वारा कोई मांग नहीं है। | | | |
| 8. | जोधपुर | मांग नहीं | 5 | 5 | 5 |
| 9. | नागौर | जिले द्वारा कोई मांग नहीं है। | | | |
| 10 | पाली | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 11. | राजसमंद | जिले द्वारा कोई मांग नहीं है। | | | |
| 12. | सिरोही | जिले द्वारा कोई मांग नहीं है। | | | |
| | योगः | 1059 | 1164 | 1414 | 1614 |

आपके जिले में पशुओं के लिये पशु शिविर खोले जाने के संबध में कृपया निम्न दिशा निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जायेः–

1. पशु शिविर का संचालन राजकीय संस्था, पंचायतराज संस्था या स्वंयसेवी संस्था के माध्यम से कराये जाने की अनुमति प्रदान की जावे साथ ही ऐसे शिविरों में अपंग, बेसहारा तथा लावारिस पशुओं को रखे जाने की अनुमति प्रदान की जावे।
2. गत वर्षो में यह राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि पशु शिविरों के माध्यम से पशुपालकों के दुधारू पशुओं को भी पशु शिविर में दाखिल कर लिया जाता है तथा पशु

१..

पालक दिन में पशुओं को चराई की सुविधा हेतु शिविरों में छोड देते हैं एवं सुबह शाम पशुओं को लेकर जातें हैं। अतः इस संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

(i) किसी भी पशु शिविर में दुधारू पशु को नहीं रखा जावे।

(ii) पशु शिविर उन्हीं संस्थाओं को स्वीकृत किये जावे जिनके पास पशुओं को रखे जाने की समुचित व्यवस्था यथा छाया,पानी, इत्यादि की समुचित व्यवस्था हो।

(iii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले पशुओं को यदि पशुपालक द्वारा शिविरों में दाखिल किया जाता है तो पशु पालक को पशु का मालिकाना हक छोडना होगा।

(iv) पशु शिविरों में रखे जाने वाले बडे पशु को 20/- रूपये प्रति बडे पशु प्रतिदिन तथा 10/- रूपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान राशि उपलब्ध करायी जावेगी।

(v) पशु शिविरों में संधारित किये जा रहे पशुओं को पशु शिविर संचालित करने वाली संस्था को 1 किलो पशु आहार बडे पशु को तथा 1/2 किलो पशु आहार छोटे पशु को प्रति पशु प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराया जावेगा यदि निर्धारित मात्रा में पशुओं को पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में 6/- रूपये बडे पशु तथा 3/- रूपये प्रति छोटे पशु की दर से देय अनुदान राशि में से काटी जाकर शेष अनुदान राशि का भुगतान संस्था को किया जावे।

(vi) पशु आहार राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड द्वारा निर्मित उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि देय होगी अन्य किसी संस्था द्वारा निर्मित उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में पशु आहार की कटौति सुनिश्चित की जावे।

(vii) पशु शिविरों के माध्यम से संधारित किये जा रहे पशुाओं का शिविर स्थल पर जाकर तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जावे तथा निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों का उल्लेख शिविर संचालक द्वारा शिविर स्थल पर रखे जा रहे रजिस्टरों में आवश्यक इन्द्राज सुनिश्चित किया जाकर हस्ताक्षर किये जावें।

(viii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले पशुओं के प्रमाणीकरण के संदर्भ में स्थानीय रूप से पटवारी/ग्राम सेवक/नजदीकी स्कूल के प्रतिस्थित अध्यापक को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन कर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही पशु शिविरों में पशुओं को रखा जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि एक पशु शिविर में अधिकतम पशु सीमा 200 से अधिक न हो तथा एक माह की अवधि में कम से कम 100 पशु होने की स्थिति में ही शिविर संचालक को अनुदान राशि का भुगतान किया जावे।

3. ऐसे पशु शिविरों के बारे में जिला कलेक्टर के स्तर पर एक रजिस्टर संधारित किया जावे, जिसमें निम्न सूचना अंकित की जावेः-

(i) पशु शिविर चलाने वाली संस्था का नाम

(ii) पशु शिविर चलाने हेतु आवेदन पत्र का दिनांक

(iii) संस्थान का नाम जहॉ शिविर चलाया जावेगा

9 यदि किसी संस्था द्वारा संचालित शिविर की व्यवस्था, जिला कलेक्टर द्वारा संतोषजनक नहीं पाई जावे तो ऐसे शिविर की व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा अपने स्तर पर व्यवस्थित करने के लिए कार्यवाही की जावे

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपको प्रेषित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 7 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पशु शिविरों का संचालन सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय,

उ0 शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख शासन सचिव प्रथम/द्वितीय, माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, राज0, जयपुर
2. विशिष्ठ सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
6. संभागीय आयुक्त, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
8 समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।

उ0 शासन सचिव